

कार्यालय आदेश संख्या - 22/17

श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव प्रधान वाणिज्य लिपिक सीवान को असैनिक शल्य चिकित्सालय सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सीवान के द्वारा जारी विकलागता प्रमाण पत्र के आलोक में रेलवे बोर्ड के पत्र सं.एफ (ई)1/89/ए एल-7/6 दिनांक 10.12.1990 के अनुपालन स्वरूप रीढ़ की हड्डी के 40% से अधिक स्थायी आंशिक अशक्तता के कारण रेलवे बोर्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक- 16.12.97 के अनुसार दुगुनी दर पर परिवहन भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त है।

(सत्यनारायण उराँव)
सकाधि
कृते मरेप्र(का.)
वाराणसी
दिनांक-11.4.17

संख्या- का/वा/पीसी/अवधेश कुमार श्रीवास्तव
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. वमवाप्र/वाराणसी
2. वमविप्र/वाराणसी
3. स्टेडी/मुवानि-सीवान
4. कार्यालय आदेश पुस्तिका
5. कार्याधि परिचालन बिल
6. संबंधित कर्मचारी
7. मंडल मंत्री नरमू, एससी/एसटी एसोसिएशन/वाराणसी

7/4/17
कृते मरेप्र(का.)
वाराणसी